आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

राज भवन
लखनऊ - 226 027

संख्या : ई- 1704 /जी0एस0 दिनांक : 23 मार्च, 2022

आदेश

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के द्वारा परीक्षा सम्पन्न कराये जाने हेतु विभिन्न महाविद्यालयों को अग्रिम धनराशि दी जाती है, जिसका समायोजन वर्षों तक नहीं हो पाता है और आडिट करने वाले संगठनों द्वारा अग्रिम का समायोजन न होने से आपत्ति की जाती है। इस समस्या के निदान हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया :-

1- कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2- कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
3- कुलपति, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर	सदस्य
4- कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय, गोरखपुर	सदस्य
5- वित्त नियंत्रक, महात्मा गॉधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी	सदस्य
6- वित्त नियंत्रक, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा	सदस्य
7- परीक्षा नियंत्रक, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ	सदस्य
8- परीक्षा नियंत्रक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ	सदस्य
9-कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी, शिक्षा	संयोजक -सदस्य

उक्त समिति द्वारा 12 अक्टूबर, 2021 को बैठक कर निम्नानुसार संस्तुति प्रेषित की गयी :-

1. विश्वविद्यालय द्वारा शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों को धनराशि का भुगतान किया जाये।
2. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा हेतु विभिन्न महाविद्यालयों को उनके यहाँ स्थापित परीक्षा केन्द्र पर आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या और प्रति परीक्षा के लिए निर्धारित दर के आधार पर गणना करके केन्द्र व्यय हेतु सकल राशि परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व एकमुश्त दे दी जाये। यह धनराशि अग्रिम के रूप में नहीं होगी और न ही इसका समायोजन अपेक्षित होगा। वरन परीक्षा उपरान्त इसका उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. केन्द्र अध्यक्ष/सहायक केन्द्र अध्यक्ष तथा कक्ष निरीक्षक के पारिश्रमिक का भुगतान इनकी वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा। इसके लिए केन्द्र अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह दिन-प्रतिदिन के आधार पर इनकी उपस्थिति ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। साथ ही इनका बैंक विवरण खाता संख्या बैंक का नाम तथा शाखा और बैंक शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड तथा पैन नम्बर भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

राज भवन
लखनऊ - 226 027

परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त विश्वविद्यालय को इसके सभी परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त होने वाली इस प्रकार की सूचना का संकलन करके प्रत्येक केन्द्र अध्यक्ष/सहायक केन्द्र अध्यक्ष तथा कक्ष निरीक्षक को देय पारिश्रमिक की गणना की जायेगी और इस प्रकार गणना के आधार पर आगणित धनराशि सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित केन्द्र अध्यक्ष/सहायक केन्द्र अध्यक्ष तथा कक्ष निरीक्षक के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. या ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सीधे भेज दी जायेगी।

4. उपरोक्त व्यवस्था लागू करने से पूर्व राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों के कुलपति/निदेशकों से उनके सुझाव प्राप्त कर लिए जायें। प्राप्त सुझावों पर पुनर्विचार करके उपरोक्त प्रस्ताव पर अंतिम मत स्थिर करके सक्षम स्तर के अनुमोदन से व्यवस्था प्रतिपादित की जाये।

इन संस्तुतियों को समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों को प्रेषित कर मंतव्य प्राप्त किया गया, जिस पर किसी भी विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा कोई प्रतिकूल मंतव्य व्यक्त नहीं किया गया।

तत्क्रम में समिति की संस्तुति के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु विभिन्न महाविद्यालयों को दी जाने वाली अग्रिम धनराशि की व्यवस्था एतद्द्वारा समाप्त की जाती है तथा निम्नानुसार व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है :-

1. विश्वविद्यालय द्वारा शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही परीक्षा के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों को धनराशि का भुगतान किया जाये।
2. विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा हेतु विभिन्न महाविद्यालयों को उनके यहाँ स्थापित परीक्षा केन्द्र पर आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या और प्रति परीक्षा के लिए निर्धारित दर के आधार पर गणना करके केन्द्र व्यय हेतु सकल राशि परीक्षा आरम्भ होने से पूर्व एकमुश्त दे दी जाये। यह धनराशि अग्रिम के रूप में नहीं होगी और न ही इसका समायोजन अपेक्षित होगा। वरन परीक्षा उपरान्त इसका उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. केन्द्र अध्यक्ष/सहायक केन्द्र अध्यक्ष तथा कक्ष निरीक्षक के पारिश्रमिक का भुगतान इनकी वास्तविक उपस्थिति के आधार पर किया जायेगा। इसके लिए केन्द्र अध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वह दिन-प्रतिदिन के आधार पर इनकी उपस्थिति ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। साथ ही इनका बैंक विवरण खाता संख्या बैंक का नाम तथा शाखा और बैंक शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड तथा पैन नम्बर भी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे। परीक्षा सम्पन्न होने के उपरान्त विश्वविद्यालय को इसके सभी परीक्षा केन्द्रों से प्राप्त होने वाली इस

दूरभाष : 0522-2236497 फैक्स : 0522-2239488 ईमेल : hgovup@gov.in वेबसाइट : www.upgovernor.gov.in

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश

राज भवन
लखनऊ - 226 027

प्रकार की सूचना का संकलन करके प्रत्येक केन्द्र अध्यक्ष/सहायक केन्द्र अध्यक्ष तथा कक्ष निरीक्षक को देय पारिश्रमिक की गणना की जायेगी और इस प्रकार गणना के आधार पर आगणित धनराशि सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बन्धित केन्द्र अध्यक्ष/सहायक केन्द्र अध्यक्ष तथा कक्ष निरीक्षक के बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. या ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सीधे भेज दी जायेगी।

ह0/-

(आनंदीबेन पटेल)
राज्यपाल/कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त कुलपति/निदेशक, राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

दूरभाष : 0522-2236497 फैक्स : 0522-2239488 ईमेल : hgovup@gov.in वेबसाइट : www.upgovernor.gov.in